(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1052–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–1–2013 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 31/अपील/2010–11.

.....

जुबेदा पत्नि स्व0 श्री शेख ममदूह (मृत)
द्वारा वैध उत्तराधिकारी श्रीमती कुरैशा बी
पत्नि श्री अब्दुल हफीज खॉन पुत्री स्व0श्री शेख ममदूह
निवासी म.नं.8,नसतरन बानो की मस्जिद के पास,
घोड़ा नक्कास बाल विहार भोपाल म0प्र0
द्वाराः– संरक्षक अब्दुल रहमान आत्मज अब्दुल हफीज
निवासी प्रथम मंजिल बाल विहार रोड भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा नायब तहसीलदार नजूल
तहसील हुजूर बैरागढ़ वृत्त भोपाल

.....अनावेदक

.....

श्री रत्नेश शर्मा, अभिभाषक– आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक ग्राम शाहजहॉनाबाद द्वारा तहसीलदार को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा भोपाल स्थित शासकीय बडा बाग की भूमि सर्वे नम्बर 206/1 के रकबा 8,893 वर्गफीट पर दुकान व माकन बनाकर अवैध कब्जा किया गया है । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार तहसीलदार नजूल बैरागढ वृत भोपाल द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 2–2–2010 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत आवेदिका का शासकीय भूमि पर अतिकमण होने से 1,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–10–2010 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–1–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका पर तहसील न्यायालय द्वारा व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली नहीं कराई गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा 1,300 वर्गफीट के संबंध में कार्यवाही की गई है, जबकि आदेश सम्पूर्ण भूमि के संबंध में पारित किया गया है जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इश्तिहार का विधिवत् प्रकाशन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मकान एवं दुकान बना होने से संहिता की धारा 248 लागू नहीं होती है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है और आवेदिका द्वारा शासकीय भूमि पर विपरीत आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मॉग की जा रही है, जबकि स्वत्व निर्धारण का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदिका का अवैध अतिकमण मानते हुये बेदखल करने के आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर